## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

### खुली बोली आमंत्रण सूचना

क्रमांक 18

दिनांक 25.04.0.2022

आयोग कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिये आवश्यकतानुसार जॉब बेसिस पर उधान व पेड़—पौधों के रख—रखाव कार्य खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदकों, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) आयकर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान 1958 या इण्डियन पार्टनरिषप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से निम्नलिखित प्रकार से मुहरंबद बोली (तकनीकी—वाणिज्यक एवं वित्तीय) पृथक—पृथक लिफाफों में आमंत्रित की जाती है :—

क्र.स	कार्य का विवरण	अनुमानित	बोली	बोली प्रपत्र	बोली प्रपत्र जमा	बोली (तकनीकी	
		लागत	प्रतिभूति	शुल्क	कराने की अंतिम	वाणिज्यिक) खोलने	
		(रूपयें)	राशि	राशि	तिथि एवं समय	की दिनांक एवं	
			(रूपयें)	(रूपयें)		समय	
1.	आयोग कार्यालय के	6.00 लाख	12000 / -	500	दिनांक 29.04.22	दिनांक 29.04.22	
	सम्पूर्ण परिसर में उधान				समय 1.00 बजें	समय 3.00 बजें	
	व पेड़–पौधों का				तक		
	रख–रखाव।						

- 1 बोली आमंत्रण सूचना, मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट <u>www.rpsc.rajasthan.gov.in</u> व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http: sppp.raj.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
- 2 बोली प्रतिभूति राशि (2% निविदा मूल्य) रूपये 12000 / वित्त विभाग के परिपत्र क्र. प. 6 (5) वित्त (सा.वि. ले.नि.) 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 में वर्णित अनुसार ई—ग्रास सिस्टम के माध्यम से बजट मद 8443—00—103—00—00 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
- 3 बोली प्रपत्र शुल्क रू. 500 / वित्त विभाग के परिपत्र क्र. प. 6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 में विर्णत अनुसार ई—ग्रास सिस्टम के माध्यम से बजट मद 0075—00—800—52—01 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
- 4 बोली प्रतिभूति राशि व बोली प्रपत्र शुल्क एक ही चालान के द्वारा उपरोक्तानुसार सम्बन्धित बजट मद में ई—ग्रास के माध्यम से जमा कराया जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से राशि स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5 तकनीकी वाणिज्यिक बोली दिनांक 29.04.2022 को सांय 3.00 बजें समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

उपसचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग

#### राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

#### वित्तीय बोली प्रपत्र

1.	बोलीदाता का नाम प्रस्तुत करने वाली फर्म / व्यक्ति का नाम व पता
	दूरभाष नम्बर
	बैंक का खाता संख्या ब्रांच का नाम
	PAN No IFSC कोड

नोट :— बोलीदाता वित्तीय व तकनीकी बोली पृथक—पृथक लिफाफें में सीलबंद कर एवं उक्त लिफाफें पर 'वित्तीय बोली' अंकित करें।

क्र.स.	सेवा	श्रमिकों	को देय पारिश्र	मिक जो वि	ज्ञ प्रचलित ज्ञान	EPF	ESI	सामग्री	सेवा	कॉलम
	का	न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय					की राशि	प्रदाता का	संख्या ८	
	नाम	सख्या				दर	दर	एवं	सर्विस	एवं ९ में
						प्रतिशत	प्रतिशत	उपकरण	चार्ज राशि	अंकित
								किराया	(-0)	कुल राशि
								(प्रतिमाह)	(प्रतिमाह)	राशि
								(रूपयें)	(रूपयें)	रूपयें
		श्रमिक	न्यूनतम	श्रमिकों	प्रतिमाह					
			मजदूरी दर	की	कुल राशि					
		1	प्रतिमाह प्रति	संख्या	9					
			ईकाई राशि							
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	उधान	अर्द्वकुशल	7046 / -	05	35230/-	राज्य सर	कार के			
	कार्य					निर्देशानुसा	र प्रचलित			
						दर	₹			

- 1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 01 से 07 तक की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है, तथा केवल स्तम्भ संख्या 8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी। **L-1** का निर्धारण कॉलम संख्या —10 के आधार पर किया जायेगा।
- 2. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST ) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- 3. क.स. ४ में अंकित किये गये श्रमिको की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी / वृद्धि की जा सकती है।
- 4. संवेदक की सर्विस चार्ज राशि शून्य या ऋणात्मक स्वीकार नही होगी ।
- 5. क्र.स. 03, 06 एवं 07 में संशोधन पर उक्तानुसार भुगतान किया जावेगा जिसका प्रभाव क्र.स. 08 एवं 09 पर नहीं पड़ेगा।
- 6. एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा कॉलम संख्या 9 एवं 10 में समान राशि अंकित होने पर जिस निविदा दाता का वित्तीय वर्ष 2020—21 में वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा, उस निविदा दाता को प्राथमिकता मिलेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय पूरा पता

7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 02 वित्तीय वर्ष (2019—20 व 2020—21) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग /उपक्रम/स्वायत संस्थाए/ परियोजनाए/ बोर्ड/सिमिति /आयोग/शिक्षण संस्था/बैको में न्यूनतम 05 श्रिमकों मय सामग्री उपकरण में कम से कम एक वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :—

豖.	विभाग / संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये श्रमिक	उपलब्ध करवाये	संबंधित
स.		दिनांक / वर्ष	श्रमिक की संख्या	विभाग / संस्थान से
				जारी संतोषजनक
				सेवा का प्रमाण–पत्र
				का अंकन
1				
2				
3				

- 8. बोलीदाता / संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नआवर 06 लाख रूपये होना चाहिए। जिसके समर्थन मे चार्टेट अकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है।
- 9. तकनीकी बोली मे क्वालिफाईड / सफल बोलीदाता / संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
- 10. वित (जी.एण्ड.टी) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित रा.लो.उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना की जायेगी।
- 11. न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
- 12. स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसें RTPP 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा ।
- 13. मैं / हम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जायेगा तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क्र.	विवरण	रजिं.	वर्ष	पंजीकरण	संलग्नक
स.		सं.		दिनांक	क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या वचन पत्र				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	आय कर पेन (नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम,1958				
	या				
	इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत				
	या				
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बिड़ आमन्त्रण नियम एवं शर्ते तथा अन्य विवरण

#### अनिवार्य शर्ते:--

- 1. बोली प्रतिभूति राशि रू. 12000 / एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500 / का एक ही चालान बनवाकर तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2. संवेदक की सामग्री राशि व उपकरण किराया तथा सर्विस चार्ज राशि शून्य या ऋणात्मक स्वीकार नहीं होगी।
- 3. सफल बोलीदाता / संवेदक को अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं नियम 1971 के विहित प्रावधानुसार नियम अविध में लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 1 हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अग्रेजी की प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
  - 2 हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।
  - 3 Financial bid shall be opened only of those tenders. who will qualify technically.

s.no.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No
1	Name of Bidder Firm	
2	Status (Proprietor/Partnership Firm/Compans)	
3	Authorised Signatory (Name & Designation) (01)E.Mail (02Phone. no ) (03) Address	
4	Whether RISL fee is submitted with the technical Bid Provide details Challan nodtRs	
5	Whether Bid security Challan noDTRS submitted	
6	Form fee Challan nodtRs	
7	Whether annexure – A,B,C & D have been downloaded, signed and submitted with the technical bid	
8	Bankers Certificate regarding running bank account, if bidder has submitted bid for the first time	
9	The required copy of audited financial statements of last two years are enclosed with the technical bid	
10	Whether the copies of work orders experience certificate and satisfactory completion in support of last three year working experience submitted.	
11	Whether all documents at Pt. 2 of compulsory conditions enclosed with technical Bid	
12	Registration Certificate of labour Deptt	
13	Registration Certificate of Sevice Tax , GST	
14	Registration Certificate of E.S.I.\$ E.P.F.	
15	Original Undertaking for Criminal Liability That M/S(Name of firm/agencey)has not been neither prosecuted nor declared defaulter by any Govt.Agency and No proceedings in any nature i.e. CBI/FEMA/Criminal/Incometax/vat/Salestax/LabourLaws/blacklisted is going on/Contemplated/pending against the firm	

#### नोट :-

i. क्रम संख्या (12) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (issuing date validity date) वैधता अविध अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

#### बिड आमन्त्रण

### नियम एवं शर्ते तथा अन्य विवरण

- 1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 जिसे आगे अधिनियम व नियम कहा गया हैं तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र गाईड लाईन, आदेश, निर्देश, आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को अधिनियम एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपयुर्वत अधिनियम एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त 'अधिनियम' एवं 'नियम' के प्रावधान ही अधिभावी होंगे।
- 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- 4. सफल बोलीदाता / संवेदक को अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं नियम 1971 के विहित प्रावधानुसार नियम अविध में लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
- 6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक की बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेंदक का होगा।
- 8. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार लागू होने पर अपने समस्त श्रमिकों की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिक के ई. पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 9. संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधि प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा

- 10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा
- 11. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर कार्य पर लागू होने पर वस्तू एवं सेवा कर (जी.एस.टी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर ओद्यौगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 15. कार्य सम्पादन अविध के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
- 17. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 18. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। लिफाफे पर उद्यान व पेड़—पौधों के रख—रखाव के संबंध में आदि कार्य के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।
- 19. ड्रेस कोड का पालना किया जाए तथा ड्रेस के व्यय का वहन संवेदक द्वारा किया जाएगा।

- 20. आयोग कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस के अंतर्गत कार्य शुरू करना होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में शास्ती रू. 500 / —प्रतिदिन लगाई जायेगी, जो कि भुगतान की जाने वाली राशि में से काट ली जावेगी। उद्यान संबंधि समस्त सामग्री स्वयं निविदादाताओं की होगी। बिल का सत्यापन समन्वय एवं व्यवस्था प्रभारी के द्वारा करवाया जाकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- 21. कार्यादेश से दस दिवस की अविध के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर आयोग सिचव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आंमत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से उद्यान कार्य करवाया जा सकेगा जिस पर हुए अतिरिक्त/संपूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल कर ली जायेगीं।
- 22. उद्यान कार्य करने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से करायेगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। साथ ही निम्नांकित उपकरण भी साथ लायेगा:— यथा—घास किटंग मशीन, कैंची, कटर, फावड़ा, तगारी, गेंती, खुरपी, कुदाली, कुल्हाड़ी, पंजा, कचरा ट्रोली, हंसिया आदि।
- 23. दरें समस्त करों एवं चार्जेज सहित प्रस्तुत करनी होगी। करों, Employees PF, ESI (नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान) etc. and it also includes any other legal liabilities संबंधित विभागों में जमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 24. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 25. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सिचव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
- 26. बिड प्रकिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं द्वितीय अपील अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को की जा सकेगी।
- 27. .किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र अजमेर ही होगा।
- 28. इस निविदा के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका उपर उल्लेख नहीं किया गया है, का पालन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- 29. हम / मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की उक्त समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया हैं।
- 30. हम / मैं उक्त शर्तों से सहमत हूं / हैं एवं इनका पालन करने का वचन देता हूं / देते हैं जिसके प्रमाण में निविदा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

- 31. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस में बिड कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जो कार्यादेश राशि का 2.5 प्रतिशत होगी, जमा करानी होगी जो कार्य के सन्तोषप्रद सम्पादन के पश्चात् आयोग द्वारा निविदादाता को लौटाई जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 32. जी.एस.टी. जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा। जी.एस.टी. जमा कराने का निविदादाता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि जी.एस.टी. निविदादाता द्वारा बिल का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् जमा करा दिया जायेगा तथा जी.एस.टी. जमा का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- 33. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाऐं RTPP नियम 2013 के प्रावधानुसार उसी कीमत निबधनों और शर्तो पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- 34. बोली की विधि मान्यता तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य है।
- 35. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (sub-let) पर नहीं देगा।
- 36. मूल्यांकन की कसौटी तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की मशीन/उपकरण एवं सफाई सामग्री तथा सर्विस चार्ज राशि के योग के न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाइड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 37. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र एफ.2 (1) वित / एस.पी.एफ.सी. / 2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018, संख्या 01 / 2018 के अनुसार मानव संसाधन का उपापन किया जायेगा, एवं परिपत्र के दिशा निर्देश भी लागू होंगे।
- 38. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में सफल बोलीदाता को यह शपथ—पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अविध के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम 1970/ संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण—पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 39. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 व आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
- 40. कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना आवश्यक रूप से की जानी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील घोषणा–पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रिजस्टर्ड है वास्वत में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक/मशीन/उपाकरण /सामग्री उपलब्ध है तथा 'अधिनियम' की धारा 46 एवं 'नियम' 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित नहीं है।

यदि हम घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that

puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge / consultant for the contract.

# Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications <u>Declaration by the Bidder</u>

Date	d	I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in rement Act, 2012, that:
rubii		I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
	2.	I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
	3.	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
	4.	I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
	5.	I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
Date	e:	Signature of bidder
Plac	ce:	Name:

Designation: Address:

#### Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The designation and address of the Second Appellate Authority is

#### (1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### (5) Form of appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second
- (d) Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

#### (6) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be

rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled

Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice

accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix

date of hearing.

- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- a. hear all the parties to appeal present before him; and peruse or inspect documents, relevant

records or copies thereof relating to the matter.

- b. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (i) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

#### **Annexure D : Additional Conditions of Contract**

- 1. Correction of arithmetical errors Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
- 1. if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- 2. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- 3. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above. if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- 1. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document . It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- 3. In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so. the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

## 4. 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

### [See rule 83]

## Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012

	ACI, 2012
Арр	eal No of of
Befo	ore the(First/ Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
(i)	Name of the appellant
(ii)	Official address, if any:
	Residential address:
2. (i) (ii) (iii	
3. th	Number and date of the order appealed against and name and designation of e officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of ecision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the ovisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name d postal address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.	Grounds of appeal:
	(Supported by an affidavit)
7. P	rayer:
•••	
	lace
D	ate
	Appellant's signature